



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8098

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 17131 सन् 2025

प्रताप सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	मनोज कुमार पटेल
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार पटेल और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. इस न्यायालय ने 15.11.2025 को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया और उसके बाद प्रकरण की सुनवाई आज के लिए निर्धारित की गई। विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने निर्देश उपलब्ध करा दिए हैं। उनका कहना है कि उन्हें निर्देश पूर्णतः प्राप्त हैं और ये निर्देश रिट याचिका के निस्तारण के लिए पर्याप्त हैं। वे कोई और शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं और याचिका का निर्णय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उसे होम गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था, हालांकि, याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 392 और 420 के तहत एफआईआर संख्या 0091/2023 दर्ज कराए जाने के कारण, उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और चुनौती दिए गए आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, हालांकि, उसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है और उसकी सेवाएं 21.11.2023 को समाप्त कर दी गई हैं, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने अपील दायर की थी जिसे संभागीय कमांडेंट होम गार्ड्स मेरठ डिवीजन, मेरठ ने 16.01.2025 को खारिज कर दिया था।

4. दोनों आदेशों पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चुनौती दिए गए आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि 18.08.2023 के सरकारी आदेश के अनुसार उन अपराधों के संबंध में किया गया वर्गीकरण, जिनमें 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, को **रिट-ए संख्या 16186/2024 (महेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य)**, दिनांक 26.09.2025 को दिए गए निर्णय में अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित कर दिया गया था। उन्होंने निवेदन किया कि केवल आपराधिक प्रकरण का लंबित होना और आरोपपत्र प्रस्तुत करना याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराने और उसे पद से हटाने का आधार नहीं हो सकता।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस प्रकरण पर तीसरे प्रत्यर्थी, संभागीय कमांडेंट होम गार्ड्स जिला मेरठ द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनी है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

8. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया था और उसके बाद उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं तथा 21.11.2023 को उसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई, जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई थी जिसे 16.01.2025 को खारिज कर दिया गया था। आदेश का संपूर्ण आधार 18.08.2023 के सरकारी आदेश पर टिका है। **महेश सिंह**

(उपरोक्त) प्रकरण में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"19. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पुलिस द्वारा दायर की गई आरोपपत्र मात्र दोषसिद्धि की गारंटी नहीं है। जनमानस की दृष्टि में, चाहे छोटे-मोटे अपराध हों या बड़े, जेल भेजे गए व्यक्तियों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। सरकार, जो एक कल्याणकारी राज्य है, को ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए, इसलिए आरोपपत्र दायर किए गए सभी व्यक्तियों को, यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो दोषसिद्धि होने तक या संभावनाओं की प्रबलता के सिद्धांत पर संक्षिप्त जांच के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई होने तक सेवा से नहीं हटाया जाना चाहिए। ऐसे प्रकरण हो सकते हैं जहां कोई कर्मचारी आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कृत्य और आचरण के लिए आपराधिक प्रकरण में फंस जाता है, या जहां वह निजी प्रतिद्वंद्वी विवादों के परिणामस्वरूप मारपीट/धोखाधड़ी/फर्जीवाच्य और जालसाजी के कथित कृत्य के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट में फंस जाता है। पहले प्रकरण में, एक संक्षिप्त विभागीय जांच संस्थान और कर्मचारी दोनों के लिए न्यायसंगत हो सकती है, जबकि दूसरे प्रकरण में, मुकदमे के परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिए, केवल आरोपपत्र दायर करने से स्वतः ही रोजगार समाप्त नहीं हो जाना चाहिए।

20. अतः सरकारी आदेश के खंड 8 के तहत किया गया वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है, क्योंकि यह भेदभावपूर्ण होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाना चाहिए।

21. उपरोक्त के मद्देनजर, इसलिए, दिनांक 18 अगस्त, 2023 के सरकारी आदेश के खंड 5 और 6 में 7 वर्ष या उससे कम की सजा वाले अपराधों और 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए आरोपपत्र के आधार पर किया गया वर्गीकरण भेदभावपूर्ण और मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और इसलिए ऐसे भेदभाव की सीमा तक इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

22. तदनुसार, दिनांक 18 अगस्त, 2023 के सरकारी आदेश का खंड 5, जहाँ तक यह उन होम गार्ड स्वयंसेवकों की बहाली से इनकार करता है, जिन्हें जमानत पर रिहा किया गया है और जिन पर 7 वर्ष या उससे अधिक की निर्धारित सजा वाले अपराध का आरोप पत्र है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है और उस हद तक निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार, दिनांक 18 अगस्त, 2023 के सरकारी आदेश का खंड 6, जो उन होम गार्ड स्वयंसेवकों की



तत्काल बर्खास्तगी का प्रावधान करता है, जिन पर 7 वर्ष से अधिक की निर्धारित सजा वाले अपराध का आरोप पत्र है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है और उस हद तक निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार, दिनांक 18 अगस्त, 2023 के सरकारी आदेश का खंड 8, जहाँ तक यह आरोप पत्र प्राप्त कर्मचारियों की बहाली के प्रयोजन के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध और 7 वर्ष या उससे कम की सजा वाले अपराध के बीच भेदभाव करता है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता है और तदनुसार, उस हद तक निरस्त किया जाता है।

23. याचिकाकर्तागण को निर्देश दिया जाता है कि वे जमानत पर रिहा होने के कारण बहाली के उद्देश्य से अपना अभ्यावेदन आज से चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें और उनके अभ्यावेदनों पर तदनुसार विचार किया जाएगा और अगले छह सप्ताह की अवधि के भीतर उनका निस्तारण किया जाएगा।

9. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(ए) प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 21.11.2023 को पारित आदेश और प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 16.01.2025 को पारित आदेश रद्द किए जाते हैं।

(बी) प्रकरण को प्रत्यर्थी संख्या 3 को वापस भेजा जाता है ताकि वह विधि के अनुसार नया आदेश पारित करे।

10. चुनौती दिए गए आदेश को रद्द करने का यह अर्थ नहीं है कि याचिकाकर्ता स्वतः ही बहाल हो जाएगा; बल्कि यह याचिका में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन होगा।

11. तदनुसार, याचिका का निस्तारण किया जाता है।

13 जनवरी, 2026

ए. प्रजापती

(न्यायमूर्ति, विकास बुधवार)



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।